20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

2

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–बिदिशा

पुनर्विलोकन-0626/2019/विदिशा/भू.रा.

1 सोनपाल सिंह पुत्र श्री विनोद पटेल मॉ गायत्री बाई कुर्मी
निवासी – ग्राम नदना तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी म.प्र.

2 रेखा बाई पुत्री श्री गायत्री बाई पत्नी विष्णु कुर्मी
निवासी– केजडाऊदा

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीबाई पुत्री श्री कमरलाल पत्नी पत्नी रामप्रसाद कुर्मी

2 पार्वती बाई विधवा कमरलाल कुर्मी
निवासीगण – ग्राम पिपलिया हाट तहसील सिरोज जिला – विदिशा म.प्र.

-- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि. 21-5-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-6-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

12.6.19

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0063/2019/बिदिशा/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 11.04.2019 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू - 626/2019/भिंड/शा/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
12–6–2019	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.4.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	